संख्याः 1493(1)/VIII/16-सेवा/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांकः 17, नवम्बर, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु आयोजनागत पक्ष में अवचनबद्ध मद की अवशेष धनराशि को आंबटित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3779/डीईटीई/लेखा/सेवा/मांग/2005, दिनांकः 13 जून,2005 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष-2005-06 हेतु प्रशिक्षण एंव सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन प्रखण्ड के आयोजनागत पक्ष में अवचनबद्ध मदों की अवशेष धनराशि संलग्न-विवरणानुसार रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी की दरों अथवा शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति अथवा उनके दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

5— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 हेतु अनुदान संख्या—31 मुख्य लेखाशीर्षक 2230—श्रम तथा रोजगार के अर्न्तगत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा । यह आंवटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 50 / वि0अनु0—5 / 2005, दिनांक 16.11.2005 के अर्न्तगत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1493(1) / VIII / 16—सेवा / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3— वित्त अनुभाग—5
4— नियोजन विभाग
5— एन0आई0सी0, सचिवालय।
6— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।